भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1260

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

गिग कामगारों और डिलीवरी कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

1260. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक, विशेषकर बेंगलुरु में ई-कॉमर्स, खाद्य वितरण और राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग कामगारों और डिलीवरी कर्मियों के लिए विशेष रूप से कोई कल्याणकारी योजना शुरू की है या शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन और कौशल विकास के प्रावधानों सहित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक, विशेषकर बेंगलुरु में इन योजनाओं के अंतर्गत नामांकित गिग कामगारों और डिलीवरी कर्मियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने बेंगलुरु में गिग कामगारों को ये लाभ प्रदान करने के लिए राज्य प्राधिकरणों या निजी एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक में गिग कामगारों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस या कल्याण बोर्ड बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): पहली बार, 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

जारी.. 2/-

संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति-प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी बजट घोषणा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगारों (प्लेटफॉर्म वर्कर्स) के कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की है, जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करना शामिल है।

******